

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुरेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह वगै० बनाम गिरधारीलाल पुत्र बृसिंहलाल वगै०

किरम मुकदमा-विविध कैवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर:-112/2025

16-9-25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
17 09 2025	<p>प्रार्थी की ओर से श्री लोकेन्द्र सिंह एड० ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 23.05.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश की गई थी। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को न्यायालय में पेश हुए 90 दिवस से भी अधिक का समय हो चुका है। जिसके कारण उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से इस कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फ़ैसल किया जाता हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।</p>	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

